Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-IV December 2020

मानव अधिकार, इतिहास, विकास और समस्याएं

डॉ. ममता धाकड़*

मानवता के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने के और उसके विरुद्ध संघर्ष को नया आयाम देने में मानवाधिकार दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून लागू किया गया और 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया।

देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा संप्रभुता सम्पन्न धर्म निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणाम स्वरूप भारत में मानवधिकरों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई हैं क्योंकि भारत का संविधान केवल मौलिक अधिकार प्रदान करता हैं।

इतिहास

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए। भारत ने भी इस पर सहमति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि देश में मानवाधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था बनाने में 45 वर्ष लग गए और तब कहीं जाकर 1993 में NHRC मतलब मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। जो समय- समय पर मानवाधिकारों के हनन के लिए केंद्र तथा राज्यों को अपने प्रस्ताव भेजता हैं।

- इस समय में देश में जिस तरह का माहौल आए दिन देखने को मिलता हैं ऐसे में मानवाधिकार और इससे जुड़े आयामों पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
- कई विवादास्पद घटनाओ जैसे- ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उत्पन्न दंगे, शाहबानों मामले के बाद मौलानाओ में भड़की विरोध की चिंगारी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद देश भर में हुए दंगे, कश्मीर में आए दिन हो रहे दंगे इत्यादि के समय भी देश के नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन भी किसी से छिपा नहीं हैं।
- हालांकि ऐसे कई मसले हमें देखने को मिलते हैं। जब मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए NHRC अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन करता हैं लेकिन फिर भी NHRC अन्य कई मामलों पर अपनी अनुशंसाएं देने में खुद को लाचार पा रहा हैं।

मानवाधिकार क्या हैं

- यहा पर एक बात साफ कर देना उचित हैं कि मौलिक अधिकार के कुछ तत्व मानवाधिकार के अंतर्गत भी आते हैं जैसे- जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
- मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से इतर होते हैं। रही बात मौलिक अधिकारों की तो ये देश के संविधान में उल्लिखित अधिकार हैं यह अधिकार देश के नागरिकों को और किन्ही परिस्थितियों में देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होते हैं।

* सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)

- एक वाक्य में कहें तो मानवाधिकार हर व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और समान अधिकार आता हैं।

सार्वभौमिक मानव अधिकार

मानव अधिकार में वे मूल अधिकार शामिल हैं जो हर जाति, पंथ, धर्म, लिंग,राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना हर इंसान को दिए जाते हैं। सार्वभौमिक मानवाधिकारों का वर्णन इस प्रकार हैं :

- जिंदगी जीने, आजादी और निजी सुरक्षा का अधिकार
- समानता का अधिकार
- समान न्याय पाने का अधिकार
- कानून के सामने व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार
- भेदभाव से स्वतंत्रता
- दास्ता से स्वतंत्रता
- अत्याचार से स्वतंत्रता
- मनमानी गिरफ़्तारी ओर निर्वासन से स्वतंत्रता
- अपराध सिद्ध न होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार
- उचित सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार
- आंदोलन की स्वतंत्रता
- गोपनीयता, परिवार, गृह, और पत्राचार में हस्तक्षेप की स्वतंत्रता
- अन्य देशों में शरण का अधिकार
- राष्ट्रीयता को बदलने की स्वतंत्रता का अधिकार
- विवाह और परिवार के अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- खुद की संपत्ति रखने का अधिकार
- शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार
- सरकार में और निशुल्क चुनावों में भाग लेने का अधिकार
- विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता
- सही तरीके से रहने/ जीने का अधिकार
- समुदाय और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार

- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- अवकाश और विश्राम का अधिकार
- ऊपर दिए गए अधिकारों में राज्य या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्वतंत्रता

मानव अधिकार का महत्व

आज के समय में मानव अधिकार एक ऐसी सुविधा हैं , जिसके बिना हमारा जीवन काफी भयावह और दयनीय हो जाएगा क्योंकि बिना मानवाधिकारों के हम पर तमाम तरह के अत्याचार किए जा सकते हैं और बिना किसी भी कारण के हमारा शोषण किया जा सकता हैं । यदि मानवाधिकार न हो तो हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाएगा, इसका उदाहरण हमें आज के समय में कई तानाशाही और धार्मिक रूप से संचालित होने वाले देशों में देखने को मिलता हैं । सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर देने पर या फिर कोई छोटी सी गलती कर देने पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड जैसी कठोर सजा सुना दी जाती हैं क्योंकि ना तो कोई वहाँ मानव अधिकार का नियम हैं ना तो किसी तरह का कानून।

वहीं दूसरी तरफ लोकतान्त्रिक देशों में मानव अधिकारों को काफी महत्व दिया जाता हैं । इस बात से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव अधिकार हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार

भारत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया।

- भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश की सर्वोच्च संस्था के साथ- साथ मानवाधिकारों का लोकपाल भी हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। यह राष्ट्रीय मानवाधिकारों के वैश्विक गठबंधन का हिस्सा है।
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धार 12 (ज) में यह परिकल्पना भी की गई है। कि NHRC समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार संरक्षण का प्रसार करेगा और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों तथा अन्य साधनों के जरिए जागरूकता बढ़ाएगा।
- इस आयोग ने आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं आदि सभी लोगों के मानवाधिकारों, LGBT समुदाय के लोगों के अधिकारों के लिए समय- समय पर अपनी सिफ़ारिशें सरकार तक पहुचाई हैं।

मावधिकारों का उल्लंघन

जहां हर इंसान मानव अधिकारों का हकदार है वहीं इन अधिकारों का अब भी अक्सर उल्लंघन किया जाता हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब राज्य द्वारा की गई कार्यवाही की उपेक्षा, अस्वीकार या दुरुपयोग किया जाता है।

मानव अधिकारों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति की स्थापना की गई है। कई राष्ट्रीय संस्थान, गैर सरकारी संगठन और सरकार भी यह सुनिश्चित करने के लिए इन पर नजर रखती है कि कहीं किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है।

ये संगठन मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में काम करते हैं ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। उन्होंने अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ भी विरोध किया है। इन विरोधों के कारण कई बार कार्यवाही देखने को मिली है। जिससे स्थिति में सुधार पाया जाता है।

NHRC के कार्य

- शिकायतें प्राप्त करना तथा लोकसेवकों द्वारा हुई भूल- चूक अथवा लापरवाही से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच- पड़ताल शुरू करना इसमें शामिल हैं।
- कैदियों की जीवन दशाओं का अध्ययन करना, न्यायायिक हिरासत में हुई।
- भारत में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानवधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य करना इसके अलावा भी यह आयोग कई कार्य करता हैं ।

भारत में मानवाधिकार की स्थिति

देश के विशाल आकार और विविधता, विकाशसील तथा संप्रभुता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा पूर्व में औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणाम स्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है।

- भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता हैं जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी निहित हैं इन्ही स्वतंत्रताओं का फायदा उठाते हुए आए दिन दंगे होते रहते हैं। इससे किसी एक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता, अपितु उन सभी लोगों के मानवाधिकार आहत होते हैं जो इन घटनाओं के शिकार होते हैं अपितु जिनका इन सारी घटनाओं से कोई संबंध भी नहीं होता है जैसे कि -मासूम बच्चे, गरीब वर्ग के लोग इत्यादि।
- दूसरी तरफ भारत के कुछ राज्यों में कुछ दूसरे ही कानूनों के जरिए सैन्य- बलों को दिए गए विशेष अधिकारों का दुरुपयोग होने की वारदातें सामने आने लगी। जैसेकि- बिना वारंट किसी के घर की तलाशी लेना, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता हैं, अशान्ति फैलाता हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना इत्यादि खबरें अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं।
- लिहाजा यह सवाल उठता हैं कि आजादी के इतने सालों बाद भी भारत में मानवाधिकार पल-पल किसी न किसी रूप में प्रताड़ित होता रहा है। तो इसमें यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि किस कारण से NHRC मानवाधिकारों की रक्षा करने में खुद ही लाचार महसूस करता है।

भारत में मानवाधिकार के सामने मौजूद चुनौतियां

- राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र से जवाब तलब नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सशस्त्र बल उनके दायरे से बाहर है। उन पर मानवाधिकारों के हनन के आरोप केंद्र से सिर्फ रिपोर्ट मांग सकता है। जबकि गवाहों को बुला नहीं सकता, उनकी जांच एवं पूछताछ नहीं कर सकता। साथ ही आयोग के पास मुआवजा दिलाने के लिए सक्रियता तो है। लेकिन आरोपियों को पकड़ने की दिशा में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं हैं। सरल शब्दों में कहें कि आज भी मानवाधिकार आयोग के पास सीमित शक्ति है।

- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें आयोग की सिफ़ारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। लिहाजा मानवाधिकारों के मजबूती से प्रभावी नहीं रहने का कारण राजनीतिक शक्ति का अभाव ही है। यही कारण है कि हर जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान केवल कागजों में ही रह गया है।

- मानवाधिकार संरक्षण कानून के तहत उन शिकायतों की जाच नहीं कर सकता जो घटना होने के एक साल बाद दर्ज कराई गई हो। अनेक शिकायतें बिना जाँच के ही रह जाती हैं।

- पदों का खाली पड़े रहना, संसाधनों की कमी, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी, अत्याधिक शिकायतें प्राप्त होना और आयोगों के अंदर नौकरशाही ढर्रे की कार्यशैली इत्यादि इन आयोगों की समस्या रही है।

यह सभी कारण जाने पहचाने जरूर हैं फिर भी इनको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया हैं। लिहाजा अपने उदयेशों को पूरा करने में यह आयोग अपने को लाचार पाते हैं। इनकी तुलना उस गाय से की जाने लगी हैं जो चारा भी खाती हैं, जिसकी देखभाल भी की जाती हैं लेकिन वह दूध नहीं दे सकती। लोगों का मानना हैं कि अगर मानवाधिकार आयोग आम आदमियों के लिए हैं तो भारत के दूरदराज के इलाकों में रह रहे लोग अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में अनजान क्यों हैं? मानवधिकार आयोग के सदस्य भी तभी जागते हैं जब कहीं किसी जगह बड़ा हादसा जैसे- बलात्कार, फेक एनकाउंटर, जातिगत एवं सांप्रदायिक हिंसा आदि हो गया हो। इन हालातों में क्या NHRC या राज्य मानवाधिकार आयोगों को एक निष्प्रभावी संस्था मान लिया जाए? क्या इसका कोई हल सुप्रीम कोर्ट तथा इन आयोगों के पास हैं?

आगे की राह

- खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ संबंधित राज्य आयोगों का भी यही उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह देश के संजीदा मामलों पर अपनी मौजूदगी जताकर उन समस्याओं का समाधान खोजने में सरकार की मदद करे। जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता हो। तभी सही मायनों में देश में मानवाधिकार सुरक्षित हो पाएगा। जब सभी संस्थायें मिलकर देश की एकता- अखंडता को बरकरार कर एक- दूसरे का सहयोग करेंगी। जरूरत हैं तो सिर्फ एक पहल की।

- केंद्र- राज्य सरकारों को गंभीर अपराधों से निपटने के लिए सक्रियता के साथ कदम उठाने चाहिए। इसके लिए चाहे तो सरकारें मानवाधिकार आयोग की मदद भी ले सकती हैं। साथ ही साथ मीडिया और सरकारों को भी गंभीर मसलों के साथ- साथ आम मसलों पर भी अपनी उदासीनता को त्याग देना चाहिए।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (arc)ने भी अपनी रिपोर्ट में भी कुछ सिफ़ारिशें की हैं। जिनसे कि मानवाधिकार आयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है कि NHRC को विभिन्न सांविधिक आयोगों के समक्ष शिकायतें करने के लिए एक समान प्रारुप तैयार किया जाए।

- मानवाधिकार आयोग को शिकायतों का निपटारा करने के लिए उपयोगी मानदंड निर्धारित करने चाहिए।

संदर्भ सूची

1. http://www.unhcr.org/refworld/publisher,matlegbod,ind,ae6b52014,0.html
2. बीबीसी समाचार
3. भारत: निरसन अधिनियम सशस्त्र बल विशेष अधिकार
4. दुनिया बार में प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक 2009
5. The prevention of terrorism act 2002
6. Freedom of the press
7. The politics of assassination: case studies and analysis
8. मानव भारत में अपराध में आयोजित बदल तस्करी 12 सितंबर 2007: जी न्यूज़
9. Human rights watch 2006
10. India events of 2007
11. https:www.drishtiias.com/hindi/burning-issues-of-the-month/human-rights-in-india
12. https:www.hindikiduniya.com/essay/human-rights-essay-hindi/